

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे० मि० केस सं०-०८ / २०२१-२२

लालमोहन मराण्डी बनाम् मोसमात सुशीला वगै०

17-02-2023

—: आदेश :-

वर्तमान वाद आवेदक लाल मोहन मराण्डी पे०-बड़ा रसिक, साकिन-द्वारिघाट तेलगामा, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा-खदाहरा माल नं०-720, जमाबंदी नं०-34, दाग नं०-491, 492 के अन्तर्गत रकवा 00-09-10 धूर भूमि से विपक्षी (1) मोसमात सुशीला, पति-स्व० राम लगन भगत, (2) शिव कुमार जयसवाल, पिता-स्व० रामलगन भगत, दोनों साकिन-खदहरामाल, थाना-महागामा को बेदखल करने से संबंधित है, के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ किया गया। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-1699/रा०, दिनांक-27.12.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि आर०ई०आर० केस नं०-107/16-17 (सुफल सोरेन बनाम सुशीला देवी) में इसी विवाद पर आदेश पूर्व में पारित है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी टिप्पणी के समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

(8)  
17-02-23

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

(8)  
17-02-23

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Seen by  
Subhash Chandra  
17/2/23

Attorn (w/ram)  
Adv.  
17/4/23